न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

पीठासीन अधिकारीः— श्री आशीष कुमार (आरएएस)

निर्णय

प्रकरण सख्या : 9/2019

बउनवानः—

शान्तुनु कुमार पुत्र रतनलाल जाति बैरवा निवासी मांगरोल हाल निवासी 295 शापिंग सेटंर कोटा जिला कोटा

...वादी

♠ बनाम ♠

1. सुरेश कुमार पुत्र रतन लाल जाति बैरवा निवासी मांगरोल हाल निवासी 295 शापिंग सेटंर कोटा
2. कैलाशचन्द पुत्र रतनलाल जाति बैरवा निवासी मांगरोल हाल निवासी 295 शापिंग सेटंर कोटा
3. गजेन्द्र सिंह पुत्र रतनलाल जाति बैरवा निवासी मांगरोल हाल निवासी 295 शापिंग सेटंर कोटा
4. बसन्ती बाई पत्नी स्व0 गणेश जाति बैरवा निवासी बी0 63 सीकर हाउस जयपुर जिला जयपुर
5. अभिताप विजय पुत्र श्री स्व0 गणेश जाति बैरवा निवासी बी0 63 सीकर हाउस जयपुर जिला जयपुर
6. प्रमोद पुत्र श्री स्व0 गणेश जाति बैरवा निवासी बसन्त बिहार स्पेशल कोटा जिला कोटा
7. प्रमिला पुत्री स्व0 गणेश जाति बैरवा पत्नी श्री गोपाल निवासी मानसरोवर जयपुर मार्फत बी0 63 सीकर हाउस जयपुर
8. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादीगण

अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 90, 91, 92 व 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

वकील वादी : श्री लिहाज हुसैन व मो0 रफीक कुरेशी

दायरा दिनांकः 25.01.2019 निर्णय दिनांक : 30.08.2019

उक्त वाद में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल द्वारा सुनाये गये निर्णय व प्राथमिक डिकी दिनांक 25.07.2018 के अनुसार ग्राम मांगरोल के माल में स्थित आराजियात वर्तमान खाता संख्या 1159 पुराना 1097 की खसरा नं0 1331 रकबा 2.13 है0 किस्म बरानी प्रथम लगानी 21.30 रूपया व खसरा नं0 1336 रकबा 0.03 है0 किस्म बरानी प्रथम लगानी 0.30 रूपया कुल दो किता कुल रकबा 2.16 है0 कुल लगानी 21.60 रूपया स्थित है, जो राजस्व रेकार्ड में वादी व प्रतिवादी कमांक 1 ता 3 एवं प्रतिवादी कमांक 4 ता 7 के पिता/पति श्री गणेश के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है जिसे आगे वाद पत्र में विवादित आराजियात के नाम से सम्बोधित किया गया है। उक्त आराजियात में वादी व प्रतिवादी कमांक 1 ता 3 का

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल

5/6 हिस्सा एवं प्रतिवादी कमांक 4 ता 7 के पिता/पति गणेश का 1/6 हिस्सा राजस्व रेकार्ड खातेदारी में दर्ज है। तथा उक्त आराजियात का बाहमी बंटवारी वादी व प्रतिवादी कमांक 1 ता 3 के पिता व प्रतिवादी कमांक 4 ता 7 के पिता गणेश के बीच आज से 22 वर्ष पूर्व हो चुका था। तथा बाद बंटवारे वादी व प्रतिवादीगण कमांक 1 ता 7 अपने अपने हिस्से पर बाहमी बंटवारानुसार काबिज काश्त करते चले आ रहे है तथा वर्तमान में भी उसी प्रकार काबिज काश्त है। तथा वादी व प्रतिवादी कमांक 1 ता 3 अपने 5/6 हिस्से के 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 हिस्से बराबर पर काबिज काश्त है वादी अपने हिस्से पर अपने पिता के समय से काबिज काश्त करता चला आ रहा है। किन्तु उक्त आराजियात शामलाती खातेदारी में दर्ज होने से वादी को अपने हिस्से की आराजियात पर ऋण लेने विकास कार्य करवाने में काफी परेशारी का सामना करना पडता है। इसलिये वादी ने प्रतिवादी कमांक 1 ता 3 से उक्त आराजियात का बंटवारा कर प्रथक–प्रथक दर्ज कराने की कहने पर प्रतिवादी कमांक 1 ता 3 इन्कारी हो गये तथा वादी को धमकी दी कि वह वादी को उसके हिस्से की आराजियात से बेदखल कर देंगे। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वाद स्वीकार कर आराजी खसरा नं0 1331 की रकबा 2.13 है0 व खसरा नं0 1336 की रकबा 0.03 है0 कुल दो किता कुल रकबा 2.16 है0 वाके माल ग्राम कस्बा मांगरोल का विभाजन कर वादी व प्रतिवादी कमांक 1 ता 3 का 5/6 हिस्सा का विभाजन कर वादी व प्रतिवादी कमांक 1 ता 3 का 1/4–1/4 बराबर बराबर हिस्सा कर वादी का हिस्सा राजस्व रेकार्ड में प्रथक से खातेदारी में दर्ज कर प्रथक से राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे तथा इसी प्रकार नक्शा ट्रेस में भी प्रथक प्रथक तरमीम किये जाने का आदेश फरमावें।

उक्त आशय का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 25.01.2019 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। बावजुद सूचना प्रतिवादीगण अनुपस्थित होने से दिनांक 19.06.2019 को प्रतिवादीगण को एक्स पार्टी घोषित कर पत्रावली में एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। वादी की ओर स्वयं वादी द्वारा अपने बयान दर्ज करवाये गये जिन्हे शामिल पत्रावली किया गया। वादी द्वारा अपने बयानो में उन्ही कथनो को दोहराया है जिनका उसके द्वारा अपने वाद पत्र में अंकन किया गया है। प्रकरण में वकील वादी की दिनांक 12.07.2019 को बहस सुनी गयी वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि कब्जे काश्त अनुसार बंटवारा किया जावें एवं प्राथमिक डिकी जारी करने में किसी प्रकार की आपत्ति नही है।

पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का आद्योपान्त अध्ययन, अवलोकन व मनन किया गया। चूकि प्रकरण में प्रतिवादीगण को एक्स पार्टी घोषित किया जा चुका है अतः दिनांक 12.07.2019 को वादी के अधिवक्ता द्वारा कि गयी बहस व पत्रावली में सलंग्न दस्तावेजात के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आराजी खसरा नं0 1331 की रकबा 2.13 है0 व खसरा नं0 1336 की रकबा 0.03 है0

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल

कुल दो किता कुल रकबा 2.16 है0 वाके माल ग्राम कस्बा मांगरोल का विभाजन कर वादी व प्रतिवादी क्रमांक 1 ता 3 का 5/6 हिस्सा का विभाजन कर वादी व प्रतिवादी क्रमांक 1 ता 3 का 1/4–1/4 बराबर बराबर हिस्सा कर वादी व प्रतिवादीगण का हिस्से एवं कब्जे काश्त अनुसार बंटवारा प्रस्ताव समस्त पक्षकारों की मौजूदगी में बनाये जाने के आदेश दिये गये जिसकी पालना में तहसीलदार मांगरोल द्वारा अपने पत्र क्रमांक/भू0अ0/2019/3233 दिनांक 14.08.2019 से बंटवारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसके अनुसार ग्राम मांगरोल के खाता संख्या 1159 में दर्ज खसरा नं0 1331 रकबा 2.13 है0, खसरा नं0 1336 रकबा 0.03 है0, कुल किता 2 रकबा 2.16 है0 भूमि खातेदारा सुरेश, कैलाश, शान्तुनु कुमार, गजेन्द्र सिंह पुत्रान रतनलाल हिस्सा 5/6 गणेश पुत्र धूलीलाल हि0 1/6 जाति बैरवा सा0 देह के नाम दर्ज है। बंटवारा प्रस्ताव निम्नानुसार है:–

01. गणेश पुत्र धूलीलाल जाति बैरवा सा0 देह (प्रतिवादी क्रम 4, 5, 6, 7 के पिता) के खाते खसरा नं0 1331 उत्तरी रकबा 0.33 किस्म बरानी प्रथम, खसरा नं0 1336 रकबा 0.03 है0 किस्म बरानी प्रथम।
02. शान्तुनी कुमार पुत्र रतनलाल बैरवा सा0 देह (वादी) के खाते खसरा नं0 1331 रकबा 0.45 है0 उत्तरी किस्म बरानी प्रथम।
03. सुरेश पुत्र रतनलाल बैरवा सा0 देह (प्रतिवादी क्रम 1) के खाते खसरा नं0 1331 रकबा 0.45 है0 उत्तरी द्वितीय किस्म बरानी प्रथम।
04. कैलाश पुत्र रतनलाल बैरवा सा0 देह (प्रतिवादी क्रम 2) के खाते खसरा नं0 1331 रकबा 0.45 है0 उत्तरी तृतीय किस्म बरानी प्रथम।
05. गजेन्द्र सिंह पुत्र रतनलाल बैरवा सा0 देह के खाते खसरा नं0 1331 रकबा 0.45 है0 दक्षिणी किस्म बरानी प्रथम।

अतः तहसीलदार मांगरोल के बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वादी, प्रतिवादीगण के शामलाती खाते की आराजी वाके माल ग्राम मांगरोल के माल में स्थित आराजियात वर्तमान खाता संख्या 1159 पुराना 1097 की खसरा नं0 1331 रकबा 2.13 है0 किस्म बरानी प्रथम लगानी 21.30 रूपया व खसरा नं0 1336 रकबा 0.03 है0 किस्म बरानी प्रथम लगानी 0.30 रूपया कुल दो किता कुल रकबा 2.16 है0 को तहसीलदार मांगरोल के उक्त बंटवारा प्रस्ताव अनुसार पृथक–पृथक खाते दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। फाईलन डिक्री जारी हो। तहसीलदार मांगरोल उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 30.08.2019 को सरेइजलास मजमेंआम में सुनाया गया।

(आशीष कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल